


न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड लिंक कैम्प रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)



R. 5097-दे/16

छोटेलाल मिश्रा तनय ईश्वर राम मिश्रा उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम देवगढ़, पोस्ट करौंदिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

बसंत कुमार शर्मा तनय बुद्धसेन राम शर्मा निवासी ग्राम देवगढ़, पोस्ट करौंदिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0

गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक श्री छोटेलाल मिश्रा  
द्वारा स्वतः प्रस्तुत किण्व  
जप 19-2-16  
19-2-16  
श्री

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क0-277/अपील/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के निम्न आधार है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि आराजी नंबर पुराना 157/1 रकवा 0.032हे0 जिसका नया नंबर 219 रकवा 0.032हे0 में निगरानीकर्ता द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सीधी के समक्ष पूर्व में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी नं0-219 रकवा 0.03 एकड़ पूर्व से सड़क मौके में बनी है, जिसमें आम रास्ता है, एवं देवी जी के मन्दिर के लिए आने-जाने का एक मात्र रास्ता यही है, इस कारण बन्दोबस्त

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5097-II/16

जिला-सीधी

छोटेलाल मिश्रा/बसंत कुमार शर्मा

(1)	(2)	(3)
18.01.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M